फर्द अहकाम

न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलवे, जोधपुर महानगर

राज्य बनाम बदन सिंह

किस्म मुकदमा फौ. मु. प्र. सं.– 6626 / 2019

एन.सी.वी. संख्या– 180 / 2019

सी.आर.नम्बर– 17 / 2019 जी.आर.पी. मारवाड़ जंक्शन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.08.2020	वरि० पी.पी.आर.पी.एफ. उपस्थित। अभियुक्त **बदन सिंह** मय अधिवक्ता श्री अरूण व्यास उपस्थित।	

अभियुक्त **बदन सिंह** ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का पुनः ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

बदनसिंह

चूंकि अभियुक्त **बदन सिंह** ने आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 411 भा.द.सं.** को स्वेच्छया स्वीकार किया है तथा इस बाबत पृथक् से प्रार्थना–पत्र जुर्म स्वीकारोक्ति का पेश किया है। लिहाजा अभियुक्त **बदन सिंह** धारा **411 भा.द.सं.** के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

<u>सजा के बिन्दु पर :–</u>

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि अभियुक्त **बदन सिंह** ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया है। **अभियुक्त बदन सिंह पूर्व में न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका है।** अभियुक्त के परिवार में कमाने वाला अन्य कोई सदस्य नहीं है। लिहाजा उसके विरूद्ध नरमी का रुख अपनाते हुए परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। इसके विपरीत विद्वान अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्को का खंडन करते हुए कठोर सजा देने का निवेदन किया।

उभयपक्षों के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का पुनः अवलोकन किया। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। **अभियुक्त बदन सिंह द्वारा मोबाईल फोन चोरी नही किया गया है, केवल चोरित मोबाईल फोन लालचवश खरीदा है।** अभियुक्त के परिवार में कमाने वाला अन्य कोई सदस्य नहीं है। अभियुक्त **बदन सिंह** ने लोक अदालत की भावना से स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया है। अभियुक्त को कारावास की सजा देने पर इसके पारिवारिक व सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

<u>दंडादेश :–</u> अभियुक्त **बदन सिंह पुत्र श्री जयराम, निवासी– चतरपुर पीएस शाहबाद, जिला रामपुर उत्तरप्रदेश** को अपराध अन्तर्गत **धारा 411 भा.द.सं.** के आरोप में दोषसिद्ध किए जाने

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
(रेलवे) जोधपुर महानगर

पर उसे परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत आदेश दिया जाता है कि मुलजिम 06 माह की अवधि के लिए 5,000/– रूपये के बंध पत्र एवं जमानत पेश करेगा साथ ही मुलजिम निम्न शर्तो के लिए तस्दीक करायेगा–

(1) कि मुलजिम को जब कभी न्यायालय द्वारा तलब किया जावेगा तो वह सजा भुगतने हेतु न्यायालय मे उपस्थित रहेगा,

(2) कि मुलजिम परिवीक्षा अवधि में शान्ति एवं सद्व्यवहार बनाए रखेगा

(3) कि मुलजिम अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा।

साथ ही अभियुक्त पर आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत रूपये **2,000/– रुपये** अभियोजन व्यय के रूप में अधिरोपित किये जाते है।

आदेशानुसार अभियुक्त **बदन सिंह** ने धारा 4 आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम के तहत स्वयं के जमानत मुचलके पेश किये जो बाद जांच तस्दीक किये गये। शामिल मिसल हो। अभियुक्त ने अभियोजन व्यय की राशि के **2,000/– रुपये** अदा किये जो जरिए रसीद संख्या **18351/50** दिनांक **03.06.2026** को जमा राजकोष किए गए।

साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त **बदन सिंह** धारा 437 (ए) दं.प्र.सं. के तहत छः माह की अवधि के लिए पांच हजार रूपये की जमानत एवं इसी राशि का मुचलका न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश कर तस्दीक करायेगा कि जब कभी माननीय अपीलीय न्यायालय में तलब किया जावेगा तो वह माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जायेगा। आदेशानुसार अभियुक्त ने धारा 437 ए दं.प्र.सं. के तहत स्वयं के जमानत मुचलके पेश किये जो बाद जांच तस्दीक किये गये।

अभियुक्त धारा 12 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा। उक्त दोषसिद्धी का उसके नौकरी, सेवा, विदेश जाने आदि पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडेगा।

उक्त प्रकरण में फर्दजब्तीनुसार जब्तशुदा **एक मोबाईल फोन** प्रार्थी **इस्माईल खान** को नियमानुसार सुपुर्द किया जावे।

पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। लिहाजा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
(रेल्वे) जोधपुर महानगर